12504/AMC-I/07
29/03/23

कार्यालय नगर आयुक्त
नगर निगम, कानपुर

पत्रांकः- 1-7/6/2022-23/क दिनांक-29.03.2023

4064/ 29-3-23
31-3-23

आदेश

शासनादेश संख्या–6 / 2018 / 256 / 78–2–2018–42 / आई0टी0 / 2017टीसी दिनांक 24.04.2018 में दिये गये निर्देशानुसार कानपुर नगर निगम द्वारा निर्माण कार्य, सेवाओं / जॉब वर्क एवं सामग्री के कय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु ई–निविदा के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। ई–निविदा के साथ लगाये जाने वाले प्रपत्रों को वर्तमान समय में ऑफ लाइन लिफाफे में प्राप्त किये जाने की प्रथा विद्यमान है।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि ई–निविदाओं के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के ऑफ लाइन अभिलेखों की अनिवार्यता नहीं होगी। निविदादाता द्वारा समस्त अभिलेख ई–निविदा के साथ ही निविदा पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।

संज्ञान रहे कि यदि उपरोक्त के उपरान्त भी कोई निविदा अभिलेख आफलाइन लगाये जाते है अथवा उपरोक्त आदेश की अवहेलना की जाती है तो सम्बन्धित विभागीय अधिकारी / विभागाध्यक्ष पर कड़ी प्रतिकूल कार्यवाही संस्थित की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित का स्वयं का होगा।

यह आदेश तत्काल से प्रभावी होगा।

(शिवशरणप्पा जी0एन0)
नगर आयुक्त

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अपर नगर आयुक्त "प्रथम / द्वितीय / तृतीय"।
2. मुख्य नगर लेखा परीक्षक।
3. मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी।
4. समस्त विभागाध्यक्ष / विभागीय अधिकारी।
5. पत्रावली में रखने हेतु।

(शिवशरणप्पा जी0एन0)
नगर आयुक्त

C.E/NSA/CE(C)/RUCE
CVO/OC (4059)/ ...
कृपया आ. वा. ... प्रस्तुत करें।

AMC
अपर नगर आयुक्त-प्रथम
नगर निगम कानपुर

AU EE
कृपया तदनुसार का. करें।

CE
31/3/23